भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1850

जिसका उत्तिर 10दिसंबर,2015 को दिया जाना है

जीएमडीसी का खनन पट्टा के लिए आवेदन

1850. श्री दिलीप पटेलः
श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोशः
श्री देवुसिंह चौहानः

क्याs**कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात खनन विकास निगम लिमिटेड का कोई प्रस्ताव सरकार के पास अनुमोदन के लिए लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्त र

कोयला, विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्यx मंत्री (स्वातंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) तथा (ख) : गुजरात सरकार से गुजरात मिनरल डेवल्पमेंट कारपोरेशन (जीएमडीसी) के पक्ष में दक्षिण गुजरात के वालिया में ई, एफ तथा जी लिग्नागइट ब्लॉेकों के आबंटन हेतु एक अनुरोध प्राप्तष हुआ था। नेयवेली लिग्ना इट कारपोरेशन (एनएलसी) के परामर्श से इस मामले की जांच की गई थी। एनएलसी ने कहा है कि वह वालिया क्षेत्र में अपनी 500 मेगावाट विद्युत परियोजना को कार्यान्विथत करने के लिए उक्तव लिग्नाेइट ब्लॉपकोंको अपने पास रखना चाहती है।

इसके अलावा , गुजरात राज्य सरकार से गुजरात खनिज विकास निगम लि. के खनन लीज आवेदनों पर पूर्व अनुमोदन हेतु प्रस्तािव प्राप्ता हुए थे। तथापि, चूंकि गुजरात सरकार द्वारा जिस क्षेत्र हेतु पूर्व अनुमोदन का अनुरोध किया गया था , उसे प्रचलित क्रियाविधि के अनुसार अर्थात जांच समिति अथवा सरकारी वितरण मार्ग के माध्य म से आबंटित नहीं किया गया था, इसलिए केंद्र सरकार द्वारा गुजरात सरकार को जीएमडीसी के पक्ष में खनन लीज हेतु पूर्व अनुमोदन नहीं दिया गया था।